[Shri Kemal Morarkal international and national, are supposed to use the alternate runway which has no instrument landing system at all. They are supposed to land with the help of what they call Precision Approach Radar. Now Precision Approach Radar can help aircraft only up to 700 feet. After that, the pilot has to land only on visibility. This is a very dangerous thing. In Bombay, there is a lot of smog and visibility is poor. Monsoon is coming and everybody can see that there are more than 100 flights taking off and landing in Bombay everyday. I do not know what the Ministry of Civil Aviation is doing. My request to the Government, through you. Sir, is that the Government may fail on all other counts but in respect of Civil Aviation, it should not fail. The Prime Minister was himself a pilot. There are half a dozen pilots in the ruling party.

They know everything. They know the dangers involved in this and the difficult position which a pilot has to face When the weather is bad. I cannot enlighten them more than what they know. It will be like carrying coal to New Castle. *(Interruptions).* I request the Government, and specially Mr. Shivraj Patil, through you, Sir, to take up this issue seriously. He can do something in the next two weeks. There are modified I.L.Ss. available and not very costly and which can be installed within weeks. It is not as if it is a project which will take two or three years costing crores of rupees. It can be done within weeks in this electronic age. But he has to take personal interest and see that it is done.

Thank You.

Non Implementation of Official Languages Act

श्री मीर्जा इर्शादवेग (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय , मैं आपको धन्यवाद करता हू। मैं आपके माध्यम से दोनों सदनों द्वारा मान्य किया हुआ, पारित किया हुआ जो राजभाषा अधिनियम है उस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब राजभाषा की बात करते है तब कोई हिंदी भाषा की बात नहीं करते है किन्तु राजभाषा के स्वरूप में जिस भाषा को हमने स्वीकार किया है जो एक सर्वसम्मत और स्वीकृत नीति है, उसके क्रियान्वयन की हम बात करते हैं। जब यह अधिनियम हमने बनाया तब देश के तमाम प्रतिनिधियों ने, जो कि देश के सर्वोच्च आसन पर विराजमान थे, जो तमाम पार्टियों से संबद्ध थे और देश के तमाम विस्तारों से, तमाम कोनो से आते थे, सर्वसम्मति से यह विचार किया कि देश की राजभाषा के स्वरुप में किसको प्रस्थापित करना है और उन्होंने हिंदी को एक ऐसी कड़ी स्वरुप भाषा समझा कि जिसके माध्यम से जो प्रशासन है वह प्रशासन देश के जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे देश की जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताएं है इनको ध्यान में रखते हुए देश के जो अलग अलग राज्य है, जिनमें कुछ हिंदीभाषी राज्य हैं और कुछ अहिंदीभाषी राज्य है, इनके लिए किस स्वरूप में किस ढंग से प्रशासन का क्रियाकलाप हो, इसके लिए भी नियम आबद्ध किये गये। मान्यवर, आज इतने वर्षों के पश्चात, मुझे यह कहते हुए अत्यंत दुख होता है कि राजभाषा को जो स्थान मिलना चाहिए, वह स्थान आज दूसरे और लोग दे न दें लेकिन कम से कम जिन लोगों ने इसको स्वीकार किया है और उनके प्रशासन में बैठे हुए लोग अगर इसका क्रियान्वयन नहीं करते है तो देश के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। मुझे दुख इस बात का है कि जिस दिन इस अधिनियम को बनाया गया, यह धारा हमने क्यों नहीं रखी उसके अंदर कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन अगर कोई ठीक ढंग से नहीं करता है तो उसकी यह सजा है। सजा के बारे में कोई भी निर्देश इसमें नहीं है। मान्यवर, कारण यह है कि उसके अंदर जो "क" क्षेत्र के राज्य निर्देशित किये गये थे, नियमों के अधीन यह था कि "क" क्षेत्र के जो राज्य है उनके साथ केन्द्र सरकार का जो भी पत्र व्यवहार होगा वह हिंदी भाषा में होगा, राजभाषा में होगा। मान्यवर, ईसका प्रतिशत आप दिखवाइये, आपको पता लगेगा कि इतने वर्षों के बाद भी दिल्ली में बैठे हुए जो भी हमारे अधिकारी वर्ग है, दिल्ली के जो हमारे मुख्य कार्यालय है जो केन्द्रीय कार्यालय है वे "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ पत्र व्यवहार राजभाषा में नहीं करते हैं। राजभाषा को उसका न्याय कब मिलेगा? दक्षिण के कुछ मित्र यहां बैठे हैं। मै संतुष्ट हूं कि दक्षिण ने जिस ढंग से राजभाषा का कामकाज चल रहा है वह खूब अच्छे ढंग से चल रहा

है। लेकिन जो राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और कम से कम जो अधिकारी वर्ग यहां पर आते है—हम यह नहीं कहते, हम हिन्दी भाषा का प्रचार करने नहीं आये हैं, लेकिन यह तो दोनों सदनों दवारा पारित की गयी एक भावना का सवाल है, संविधान में मानी गयी एक बात के क्रियान्वयन का सवाल है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इसकी जांच करवाये। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह राजभाषा विभाग आता है, वह इसकी जांच करवाये कि कहां पर इसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं होता है। इतने वर्षों के पश्चात् भी उसके प्रतिशत में 15-20 प्रतिशत बड़ी मुश्किल से जा पाया है। वह बड़ी गंभीर बात है।

मैं एक दो डिपार्टमेंट की बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): आपको जल्दी जाना भी है।

श्री मीर्जा इर्शादबेग: हां, मान्यवर। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा—रेल मंत्रालय, बैंकिंग मंत्रालय और कुछ ढंग से और दूसरे हमारे जो मंत्रालय हैं, उन्होंने अच्छे ढंग से इसका कार्यान्वयन किया है और अब बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। वहां कहीं दक्षिण की बात नहीं लाई जा रही है, वहां कहीं दूसरे भाषों की बात नहीं लाई गई है। सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर के कुछ लोग बात कर रहे हैं और जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वह देश का गंभीर नुकसान कर रहे हैं।

मान्यवर, आज सवाल यह नहीं है कि हिंदी थोपी जा रही है। राजभाषा किसी पर थोपने का सवाल नहीं है क्योंकि इसका तो हमने सर्व-सम्मति से नियम बनाया था आज हिंदी भाषी क्षेत्रों पर अंग्रेजी थोपी जा रही है, जिससे इसका विकास अवरुद्ध होता है। जो नई जनता है, जो नई पीढ़ी है, उसका विकास अवरुद्ध होता है।

मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा—विशेषकर दूरदर्शन हमारा एक बहुत बड़ा मीडिया है। बार-बार इस सदन में हमने प्रश्न किये हैं और आपसे भी मैं यह निवेदन करूंगा कि आप भी इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को दें। हमने कहा है कि हमें जो भाषा स्वीकार है और नेहरु जी ने जो भाषा का फार्मूला बनाया था, इसको हम संपूर्ण स्वीकार करते हैं, हम इसको अस्वीकार नहीं करते, लेकिन आज भी, मान्यवर, दूरदर्शन पर जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं, उनके बारे में जब मैंने प्रश्न पूछा, तब मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उसमें हिंदी और अंग्रेजी के समाचारों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि अगर हमको कुछ अधिक समाचार देखने हैं, तो हमको अंग्रेजी के समाचार जरूर देखने पड़ेंगे। तो हम हिंदी के भी समाचार देखें और फिर अंग्रेजी के भी समाचार देखें, कितना समय नष्ट होता है।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): पार्लियामेंट न्यूज़ में भी ऐसा होता है, यह भी ध्यान में रखिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): कृपया आप समाप्त कीजिए। छह मिनट हो गये हैं।

श्री मीर्जा इर्शादबेग: मान्यवर, मुझे एक-दो मिनट और दें। मुझे तो आज भी आशंका है क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं और ऐसा हुआ है, मान्यवर, कि पार्लियामेंट न्यूज़ में जो भी हमारे स्पेशल मेंशन लिये जाते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी में स्पेशल मेंशन दिये गये हैं, हिंदी के समाचारों में संपूर्ण उसको प्रसारित नहीं किया गया। यह हिंदी के साथ, राजभाषा के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। मुझे आशंका है क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूं, राजभाषा में बोल रहा हूं— शायद इसके समाचार आज भी प्रसारित न किये जाएं।

मान्यवर, विदेशों के समाचारों के नाम पर हफ्ते में एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है जिसमें तमाम विदेशों के समाचार प्रसारित होते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उसे हिंदी में प्रसारित क्यों नहीं किया जा सकता है?

मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि हम तो यह चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषायें हैं, उनका विकास हो, लेकिन जो दूरदर्शन पर फिल्में क्षेत्रीय भाषाओं की दिखाई जाती है, उनके सब-टाईटल भी अंग्रेजी में आते हैं और बड़े खेद की बात है कि एक भी प्रादेशिक भाषा का सब-टाईटल आज तक हिंदी में नहीं बन पाया है। यह बहुत ही गंभीर बात है। देश के कितने लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और समझते हैं? मैं उनका विरोध नहीं करता क्योंकि एक हमारी सर्व-स्वीकृत नीति है और उस नीति पर मैं चलने की मांग करता हूं, लेकिन हिंदी के साथ, राजभाषा के साथ जो अन्याय हो रहा है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इसकी मांग करता हूं कि खास

[श्री मीर्जा॰ बेग]

करके दूरदर्शन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देखे कि जो सब-टाईटल्स आते हैं, वह हिंदी में आयें। जो समाचारों में विभिन्नता है, उसको दूर किया जाए और जितने भी कार्यक्रम दिये जाते हैं अंग्रेजी में—वह इसके अनुपात में और खास करके विदेशों के जो समाचार दिये जाते हैं, वह भी हिंदी में प्रसारित करने की आपके माध्यम से मांग करता हूं।

आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं भी अपने आपको मीर्जा इर्शादबेग से एसोसिएट करना चाहता हूं। मीर्जा इर्शादबेग ने जो राजभाषा के विषय में कहा है, उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और केवल एक बात की ओर आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षायें राजभाषा में हों— यह राजभाषा का रजत जयंती वर्ष चल रहा है—और लगभग तीन चार सौ संसद सदस्यों ने—उसमें आप भी हस्ताक्षरकर्ता हैं, प्रधान मंत्री के सामने हमने रखा है कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में भी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं हों, यानी अंग्रेजी की अनिवार्यता वहां से हटाई जाए, लेकिन आज भी वहां पर नौजवान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सारे देश का नौजवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहता है। ऐसी दशा में सरकार अपने दुराग्रह को छोड़े और हिंदी भाषा-भाषी राज्यों में आज कंस्टीट्यूशन है, जो नियम है, जो संविधान है हम संविधान के बाहर की बात हिंदी की बात नहीं करते हैं, क" क्षेत्र में और ख" क्षेत्र में जो हिंदी में पत्राचार नहीं करते हैं उन अधिकारियों का करैक्टर रोल लिखते समय यह लिखा जाए कि संविधान के प्रतिकूल काम कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी परीक्षाएं हिन्दी में चलें और सरकार अपना दुराग्रह छोड़ दे तथा इस काम को अवश्य करे, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपने को श्री मीर्जा इर्शादबेग जी के उल्लेख संग संबद्ध करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): इसलिए संबद्ध हो गया, एसोशिएट हो गया।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय : तो इस चीज़ को जरूर करवा दें और जो ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट मिली है उसके लिए मैं फिर उठाना चाहता हूं कि वह केवल अंग्रेजी में मिली है, अगर हिन्दी में हम लोगों को उसकी प्रति नहीं मिलेगी तो इस सदन में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर बहस नहीं चलने दी जायेगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): उसके लिए सोमवार को कहिए। . . . (**व्यवधान**)

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: उसकी प्रति हमें राजभाषा हिन्दी में मिल जानी चाहिए, नहीं तो, मान्यवर, इस सदन में ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर बहस नहीं चल पायेगी, इस बात के लिए मैं अपने साथियों की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं, राजभाषा के साथ कम से कम इस संसद में अन्याय नहीं किया जाए और दोनों भाषाओं में रिपोर्ट रखी जाए और आगे से भी बराबर दोनों भाषाओं में रखी जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Mr. Vinunbi. Only one minute please.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): You have allowed ten minutes to the other speaker.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): It is a Special Mention. I am allowing you as a special case.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, it is a sensitive issue and it is actually affecting South India. Therefore, I request you to allow me at least five minutes. Sir, I have to make four points. The first is the acceptance of the language, the second is the propagation of the language, the third is comparison and the fourth is the present situation. These are the four things so far dealt with by the hon. Member. As far as acceptance of the language is concerned, I understand that in the initial stage, according to the information given by Dr. Ambedkar, Hindi was accepted only by one vote majority, that too cast by the President or the Chairman of the Constituent Assembly. He said that everybody, in every nook and corner, accepted

IL I repudiated that opinion. It has not been accepted in every nook and corner and everywhere. My second point is that as far as Hindi language is concerned . . .

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: On a point of order, Sir. In a Special Mention, there is the question of association or disassociation. He is making another Special Mention. What is this? This is a new tradition.

(Interruptions)

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: My second point is that we are not opposing it as a language. If Malayalam is actually developing in Kerala or Telugu is developing in Andhra Pradesh or Hindi is being developed in Uttar Pradesh or Madhya Pradesh or Rajasthan by the respective State Governments, there can be no two opinions on that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Your time is over.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Whatever they wanted to say they have said. What I want to emphasise is that in India the Central Government is common for people of all the languages. Standing at the Madras Railway platform, anybody can hear the announcements in Hindi for departures and arrivals of trains. But if any Indian stands at the Delhi Railway Station, can he here the announcements in Tamil? No. Another thing that I want to say is this. If you go by Malaysian Airlines, before the aircraft lands at Penang Airport, you can have some sort of information in Tamil in the aircraft-itself. What I want to know is whether in the Indian Airlines there is any Tamil announcement.

(Interruptions)

SHRI SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): On a point of order, Sir. I would'like to draw your kind attention... *(Interruptions)* I am making a point of order on his statement. It is your authority. You can overrule it. I would like to draw your attention to Rule 240 of the Procedure of this House. It says:

> "The Chairman, after having called the attention of the Council to conduct of a Member who persists in irrelevance or in Odious repetition either of his own argument or of the arguments used by other Members in debate, may direct him to discontinue his speech."

Now.T request you, Mr. Vice-Chairman, Sir, to direct the hon. Member to discontinue his speech because it is totally irrelevant. A Special Mention was granted for a specific purpose of urgent public importance. The intervention opposing the Special Mention is totally irrelevant. I want your ruling, Sir.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I totally...*(Interruptions)*

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Kindly resume your seat. He is on a point of order.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, my point of order is that for a Special Mention, three minutes' time is allowed, and to associate or dissociate with the Special Mention, he is taking so much of time. He can associate or dissociate, but he is making a very long speech. And by that, how many Special Mentions can be made? I want your ruling, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): You conclude in two sentences. Otherwise, I will call Smt. Satya Bahin.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, I will finish in one sentence. As far as the hon. Member's opinion is conceraed, I totally differ from his view. Please put it on record.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA): Smt. Satya Bahin.

Shortage of drinking water in Agra

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, वैंकूवर में वर्ष 1976 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "हेबिटेट-कांफ्रेंस" में जिन देशों ने भाग लिया था, उन सभी ने एकमत से विश्व भर में स्वच्छ पानी सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराने के विषय में गंभीरता से विचार किया था और ठीक ऐसा ही विचार मार्च, 1977 की अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में मारडेल प्लाय में किया गया और यह सर्वसम्मति ने निर्णय किया गया था कि लक्ष्य पर पहुंचने की दिशा में 1980-1990 के दशक को "अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक" के रूप में मनाया जाये और इस योजना को कार्यरूप में परिणित किया जाय। इस अधिवेशन को भी संयुक्त राष्ट्र जल अधिवेशन के रूप में जाना जाता है।

मान्यवर, इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले देशों में भारत भी बराबर भागीदार रहा है। हर्ष की बात है कि भारत में इस दिशा में काफी प्रशंसनीय कदम उठाए गए, विशेष रूप से अप्रैल, 1981 से इस दिशा में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य आरंभ किए गए। इसी संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान इस विशेष उल्लेख के माध्यम से आकर्षित करना चाहती हूं कि आगरा नगर की जनता को पेयजल की भीषण समस्या से जूझना पड़ रहा है।

मान्यवर, आगरा नगर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ महानगर है तथा वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग दस लाख है। ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ उत्तर भारत का यह बहुत बड़ा व्यावसायिक नगर है। शिक्षा के क्षेत्र में यहां दो विश्वविद्यालय है। इनमें आगरा विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय रहा है, जिससे इतने बड़े विशाल उत्तर प्रदेश के लगभग दो-तिहाई भूभाग के विद्यालय, महाविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए संबद्ध रहे हैं। मैंने स्वयं भी आगरा महानगर के इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है तथा मैं इस जल-संकट की भुक्तभोगी भी रही हूं। अतः मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस महानगर की समस्याओं के समाधान की मांग करना चाहती हूं। आज भी देश के कोने-कोने से विद्यार्थी यहां आकर शिक्षा ले रहे हैं।

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं इस समस्या की पृष्ठभूमि तथा पानी के दूषित होने के कारणों पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हुए बताना चाहती हूं कि यमुना नदी जब दिल्ली से आगरा की ओर बहती है तब ओखला जल संयंत्र के साथ ही लगभग सारा जल दिल्ली में ही रोक लिया जाता है और नाम-मात्र के लिए ही कुछ थोड़ा सा जल आगे की ओर बहा जाता है। दिल्ली से आगरा तक के बीच में लगभग 19 नाले यमुना नदी में अलग-अलग स्थानों पर गिरते हैं। यमुना का पानी दिल्ली में ही दूषित है और इन नालों के गिरने से आगरा तक पहुंचते-पहुंचते और भी दूषित हो जाता है। दिल्ली के बाद वृन्दावन नगर इसके किनारे बसा है। धार्मिक महत्व के कारण, धर्मावलंबियों के भारी आवागमन के कारण यहां आबादी का भारी दबाव रहता है। वृन्दावन नगर की सारी गंदगी तीन बड़े-बड़े नालों के द्वारा यमुना में मिलती है। साथ ही धार्मिक महत्व के कारण, आसपास के क्षेत्रों से अंतिम संस्कार हेतु आने वाले मुर्दे भी कुछ जले हुए, कुछ लकड़ी महंगी होने के कारण अभावग्रस्त लोगों द्वारा अधजले शव, इसी नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के भी शव होते हैं, जो संक्रामक रोगी होते हैं और जिसके कारण इस नदी का पानी विषैला भी हो जाता है।

वृन्दावन नगर के बाद मथुरा नगर यमुना के किनारे बसा हुआ प्रमुख नगर है, जो धार्मिक व औद्योगिक दोनों प्रकार से महत्वपूर्ण नगर है। यहां साड़ियों की रंगाई, धुलाई छपाई का काम प्रसिद्ध है। इनकी रंगाई, धुलाई इसी नदी में की जाती है, जिससे रंगों तथा केमिकल मिश्रण से इसका पानी यहां भी दूषित हो जाता है।

इसके साथ ही इस नगर की सारी गंदगी भी इसी नदी में मिलकर प्रदूषण बढ़ा देती है। मथुरा नगर में इस नदी पर बड़े-बड़े पुल है जिनमे लगभग डेढ़ किलोमीटर का फासला है। इस बीच के स्थान में गर्मी के दिनों में